न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना

बइजलास – जे.पी. बैरवा आर.ए.एस.
मुकदमा नं. 49/2017

प्रार्थी :–

सुगनसिंह पुत्र महाबक्स सिंह जाति राजपूत निवासी गैलासर तहसील मकराना जिला नागौर

अप्रार्थीगण :–

1. भंवरसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत
3. श्रीमति दुर्गेश कंवर पत्नि रिछपालसिंह
4. श्रीमति कमोद कंवर पुत्री रिछपालसिंह
   जाति सभी राजपूत निवासी गैलासर तहसील मकराना जिला नागौर
5. तहसीलदार मकराना
6. गणपतकंवर पत्नी महाबक्ससिंह राजपूत निवासी गैलासर तह. मकराना
7. दीपसिंह पुत्र बिरजुसिंह (फोत) विधिक वारिसान –
   6/1 नन्दूसिंह पुत्र दीपसिंह
   6/2 अशोक सिंह पुत्र दीपसिंह
   6/3 नेमसिंह पुत्र दीपसिंह
   सभी जाति राजपूत निवासी गैलासर तह. मकराना
8. श्रीनिवास पुत्र छगनलाल (फौत) के विधिक वारिसान
   7/1 गोविन्द पुत्र श्रीनिवास निवासी गेलासर
   7/2 नरसिह पुत्र श्रीनिवास निवासी गेलासर
   7/3 किरणदेवी पत्नी शिवप्रकाश पुत्रवधु हाल निवासी मौलासर
   7/4 सरस्वति पत्नी श्रीनिवास निवासी गेलासर
   7/5 मुन्नीदेवी पुत्री श्रीनिवास पत्नी प्रभुदयाल निवासी बरवाली
   7/6 सन्तोष पुत्री श्रीनिवास निवासी मौलासर
   7/7 सरोज देवी पुत्री श्रीनिवास निवासी लादडिया
   7/8 योगेश पुत्र शिवप्रकाश (पोत्र) निवासी गेलासर हाल निवासी लादडिया रोड मौलासर
   7/9 हिमाशु पुत्र शिवप्रकाश (पौत्र) गैलासर हाल मौलासर
   7/10 ज्योति शर्मा पुत्र शिवप्रकाश निवासी गैलासर हाल निवासी लादडिया रोड मौलासर जिला डीडवाना
9. मुरलीधर पुत्र छगनलाल (फौत) विधिक वारिशान
   8/1 कोमल दीक्षित पुत्री बाबूलाल दिक्षित (पौत्री) निवासी गेलासर
10. प्रेमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गेलासर
11. दिलिपसिंह पुत्र हनुमानसिंह राजपूत निवासी गेलासर तह. मकराना जिला डीडवाना

वकील प्रार्थी– श्री हितेन्द्र कुमार
वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 6– श्री विजयसिंह

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गेलासर की राजस्व सीमान में कृषि भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा स्थित थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पूर्वजो के खातेदारी अधिकारो की दर्ज होकर उसी अनुरूप कब्जे काश्त मे चली आ रही थी जो संख्या 2031 से 2034 तक उसी अनुरूप कब्जे काश्तए मे खातेदारी मे दर्ज चली आई थी। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 के पूर्वजो स्व हनुमानसिंह व महबगसासिंह पुत्र भेरू सिंह के नाम खातेदारी मे दर्ज थी लेकिन लिपिकीय त्रुटि अथवा भूलवंश सम्वत् 2035 से 2038 की चौसाला खतौनी मे उक्त खसरा नम्बर 363 का रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर 24 बीघा दर्ज हो गई जो कि उपरोक्ता रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा मे से 10 बीघा कृषि भूमि कम दज किये जाने का न तो कोई आदेश हुआ न ही किसी प्रकार का नामान्तरकरण करना ही तस्दीक हुआ था। महज लिपिकीय त्रुठि ही रही है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का रकबा सख्या 2035 से 2038 की चौसाला खतोनी मे लिपिकीय त्रुटि अथवा भूलवंश 34 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर 24 बीघा 08 बिस्वा दर्ज हो जाने के पश्चात संवत 2063 से 2066 की चौसाला खतोनी मे यथावत् चलता रहा तद्उपरान्त संख्या 2067 से 2070 की चौसाला खतोनी मे उक्त खसरा मे से 12 बिस्वा कृषि भूमि का हस्तांतरण होकर नामान्तरकरण कमांक 938 नि. दि. 23.9.2013 विभाजन के द्वारा खाता विभाजन होकर खसरा नम्बर 363/1 रकबा 12 बिस्वा अलग सृजित हो जाने के कारण खसरा नम्बर 363 का रकबा रेकर्ड अनुसार 23 बीघा 16 बिस्वा रह गया और उसी अनुरूप वर्तमान चालू खतौनी मे दर्ज हो रखा है जबकि कानूनन 33 बीघा 16 बिस्वा दर्ज होना चाहिये जिसे प्रार्थी दूरूस्त करवाने का अधिकारी है। नकल खतौनी संख्या 2013 से 2034, 2035 से 38 2067 से 2070, 2071 से 2074 पेश है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के पिता व 3 के पति स्व. रिछपालसिंह का स्वर्गवास दिनांक 11.09.2015 को हो चुका है लेकिन उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 363 मे उसके वारिशान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का अभी तक नामान्तरकरण भरा जाकर तस्दीक नहीं होने के कारण खतौनी मे नाम रिछपालसिंह ही चला आ रहा जबकि अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूचि के अन्तर्गत आने के कारण अपना नाम राजस्व रेकर्ड की खतौनी मे दर्ज करवाने के अधिकारी होने के कारण उन्हे दर्ज खातेदार स्व. रिछपाल सिंह के स्थान पर पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे हित एक सम्मान ही है लेकिन वर्तमान मे वो उपलब्ध नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण बनाया गया है प्रार्थी व अप्रार्थी के कब्जे मे आज भी खसरा नम्बर 363 की 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि है। यद्यपि खसरा नम्बर 363 का विभाजन होकर खसरा नम्बर 363/1 रकबा 12 बिस्वा का खाता अलग कर दिया गया है जो विधि के तहत नही होने के कारण उसे अलग से चुनौति दी जाने के अधिकार प्रार्थी के पक्ष मे सुरक्षित है। सं. 2035 से 2038 की चौसाला खतौनी मे हुई लिपिकीय त्रुटि अथवा भूल दूरूस्त करवाने का प्रार्थी कानूनन अधिकारी है इसलिऐ यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। विवादित भूमि राज्य सरकार की भूमि होकर समस्त स्वत्व अधिकार राज्य सरकार मे निहित होने के कारण सरकार के प्रतिनिधि भूमिधारी प्रतिवादी संख्या 5 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। ग्राम गेलासर की राजस्व सीमा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 34 बीघा 08 बिस्वा के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से सं. 2035 से 2038 की चौसाला खतौनी मे दर्ज 24 बीघा 08 बिस्वा को पुनः दुरूस्त करते हुए 34 बीघा 08 बिस्वा दर्ज कर आगामी चौसाला मे भी किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्ट्र किया किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता विजयसिंह राजपूरोहित द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया जो

प्राप्त किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष विधि अनुकूल होने के कारण स्वीकार करने में हम अप्रार्थीगण सहमत है प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना अंकित किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मकराना से सम्बन्ध रिकार्ड बाबत रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मकराना द्वारा पत्रांक भू.अ./कोर्ट/2018/2185 दिनांक 11.06.2018 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाकर अवगत कराया गया कि ग्राम गैलासर की वर्तमान जमाबन्दी नक्शा एवं तहसील कार्यालय मकराना में उपलब्ध गत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम गैलासर की मिसल बन्दोबस्त खतौनी सम्वत् 2006 एवं खसरा गिरदावरी के अनुसार के खसरा नम्बर 363 का रकबा 34.08 बीघा दर्ज रेकर्ड रहा है। जमाबन्दी सम्वत् 2031–2034 तक खसरा नम्बर 363 का रकबा 34.08 बीघा दर्ज रेकर्ड रहा है, आगामी जमाबन्दी सम्वत् 2035–38 संधारण के दौरान खसरा नम्बर 363 का रकबा 34.08 बीघा के बजाय 24.08 बीघा बिना किसी आदेश के दर्ज किया गया। खसरा नम्बर 363 के नक्शा आकृति की रकबा बरारी की गई, जिसके अनुसार भी खसरा नं. 363 का रकबा 34.08 बीघा बनता है। इस प्रकार सम्वत् 2035–2038 संधारण के दौरान खसरा नं. 363 का रकबा 10 बीघा कम अंकित किया गया है। ग्राम का कुल गोश्वारा मिसल बन्दोबस्त एवं हाल जमाबन्दी अनुसार 8815.04 बीघा है। इस प्रकार खसरा नं. 363 के खसरा नम्बर के रकबा को 24.08 बीघा के बजाय 34.08 बीघा दर्ज करने पर ग्राम के कुल गोश्वारा में 10 बीघा की वृद्धि होने पर ग्राम के अन्य खसरा नम्बरो के रकबा की जांच की गई, जिसके अनुसार मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2006 के अनुसार खसरा नं. 191 का रकबा 29.11 बीघा अंकित है तथा खसरा गिरदावरी में रकबा 19.11 बीघा अंकित होने पर रकबा में अन्तर होने से खसरा नम्बर 191 के नक्शा आकृति की रकबा बरारी की गई जिसके अनुसार खसरा नं. 191 रकबा 19.11 बीघा ही बनता है, इस प्रकार भूप्रबन्ध से ही खसरा नं. 191 का वास्तविक रकबा 19.11 बीघा के बजाय 29.11 बीघा अर्थात 10 बीघा अधिक दर्ज चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018–2021 के अनुसार भी खसरा नं. 191 का कुल रकबा 19.11 बीघा दर्ज किया जाकर गिरदावरी में फसलो का अंकन किया गया है, इससे स्पष्ट है कि खसरा नं. 191 का वास्तविक रकबा 19.11 बीघा ही है। वर्तमान जमाबन्दी संवंत 2071–2074 के अनुसार खसरा नम्बर 191 रकबा 12.11 बीघा, खसरा नं. 191/1 रकबा 17 बीघा कुल रकबा 29.11 बीघा की खातेदारी श्रीनिवास 1/4 मुरलीधर 3/20 पि. छगनलाल जयनारायण रामगोपाल पि. रामदयाल 1/2 किरणदेवी पत्नि शिवप्रकाश 1/10 कौम ब्राहम्ण सा.देह खातेदार किरणदेवी पत्नि शिवप्रकाश का हिस्सा रहिन सैण्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया शाखा गोलासर मुर्तहीन दर्ज है। खसरा नं. 363 रकबा 23.16 बीघा की खातेदारी गणपतकंवर पत्नि महाबक्ससिंह रिछपालसिंह सुगनसिंह पि. महाबक्ससिंह कौम राजपूत के नाम एवं 363/1 रकबा 0.12 बीघा की खातेदारी दीपसिंह पुत्र बिरजूसिंह प्रेमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह गणपतकंवर पत्नि महाबक्ससिंह रिछपालसिंह सुगनसिंह पि. महाबक्ससिंह कौम राजपूत सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा नं. 363 का रकबा 23.16 बीघा के स्थान पर 33.16 बीघा एवं खसरा नं. 191 का रकबा 12.11 बीघा के स्थान पर 11.06 बीघा एवं खसरा नं. 191/1 का रकबा 17 बीघा के स्थान पर 08.05 बीघा कुल रकबा 19.11 बीघा होना चाहिए। साथ ही संबंधित खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर सुनने बाबत निवेदन किया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थी को संबंधित खातेदारों को पक्षकार बनाने एवं तलबी पेश किये जाने की हिदायत दी गई। जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक व तलबी पेश की जो जारी की गई। अप्रार्थी दीपसिंह पुत्र बिरजुसिंह, श्रीनिवास पुत्र छगनलाल एवं मुरलीधर पुत्र छगनलाल के फोत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का पेश किया जो स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 7 ता 10 के समन बाद रजिस्टर्ड जारी होने के एक माह की अवधि होने के उपरान्त कोई उपस्थित नही हुआ। वकील प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड तलबी की पोस्टऑफिस ट्रेक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शा.मि. की गई। बावजूद

प्रार्थी संख्या 7 ता 10 अनपुस्थित रहने से एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी खसरा संख्या 363 संवत् 2071 से 2074, संवत् 2031 से 2034, 2035 से 2038 व 2067 से 2070 व संवत् 2015 से 2018 की पेश की जो शा.मि. की गई।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का आधोपन्त अध्ययन एवं मनन किया। तहसीलदार मकराना द्वारा अपनी रिपोर्ट में वर्तमान जमावन्दी अनुसार खसरा नं. 363 का रकबा 23.16 बीघा के स्थान पर 33.16 बीघा एवं खसरा संख्या 191 का रकबा 12.11 बीघा के स्थान पर 11.06 बीघा एवं खसरा संख्या 191/1 का रकबा 17 बीघा के स्थान पर 8.05 बीघा कुल रकबा 19.11 बीघा होने बाबत पेश की गई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो एवं तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि ग्राम गैलासर की मिसल बन्दोबस्त खतौनी सम्वत् 2006 एवं खसरा गिरदावरी के अनुसार खसरा संख्या 363 का रकबा 34.08 बीघा दर्ज रिकार्ड रहा है तत्पश्चात जमाबन्दी संवत् 2035–2038 संधारण के दौरान खसरा संख्या 363 का रकबा 34.08 बीघा के बजाय 24.08 बीघा बिना किसी आदेश के दर्ज किया गया है। इसी प्रकार मौजा गैलासर के खसरा संख्या 191 मिसल बन्दोबस्त संवत् 2006 के अनुसार रकबा 29.11 बीघा अंकित है तथा खसरा गिरदावरी में रकबा 19.11 बीघा अंकित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम गैलासर के खसरा नं. 363 का रकबा 23.16 बीघा के स्थान पर 33.16 बीघा एवं खसरा संख्या 191 का रकबा 12.11 बीघा के स्थान पर 11.06 बीघा एवं खसरा संख्या 191/1 का रकबा 17 बीघा के स्थान पर 8.05 बीघा कुल रकबा 19.11 बीघा अंकित किया जाता है। तहसीलदार मकराना को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 26/9/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/9/23

उपखण्ड अधिकारी
मकराना